अध्याय–3

03

चुनावी राजनीति

चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो और बाकी काम सही से हो सके, इस पाठ में चुनाव के जरूरत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव आयोग, मतदाता पहचान पत्र और मतगणना की भी जानकारी प्राप्त करेंगे।

चुनाव की आवश्यकता

- चुनाव में मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं।
- वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं।
- वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशानिर्देश करने वाले पार्टी का चुनाव कर सकते हैं ।

© JCERT not to be republished

लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण

- हर नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना अर्थात् कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो।
- चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वह मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें।
- चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए।
- लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए।
- चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें।

© JCERT not to be republished

राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता

- चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है।
- निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता होती है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी लगती है।
- विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं।
- कुछ आपवादों को छोड़कर भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और इसे निष्पक्ष बनाने में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता की भी अपनी भूमिका होती है।

भारत की चुनाव प्रणाली

- भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर पांच साल बाद होते हैं।
- पांच साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है।
- सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं।
- कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य के मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है इसे उपचुनाव कहते हैं

चुनाव क्षेत्र

- चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
- क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।
- लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं।
- हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो।
- प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं।
- प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
- प्रत्येक पंचायत को कई भागों में बांटा जाता है जो छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है।
- कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा के एक सीट का प्रतिनिधित्व करती है।

© JCERT not to be republished

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

- हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है।
- हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए।
- इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं।
- 26 जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संसद में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
- इन सीटों से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वहां मतदान समाज के हर वर्ग से होते हैं।
- स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी हैं और आरक्षित सीटों का प्रतिशत आबादी में उन समुदायों के प्रतिशत के अनुपात में रहता है।

© JCERT not to be republished

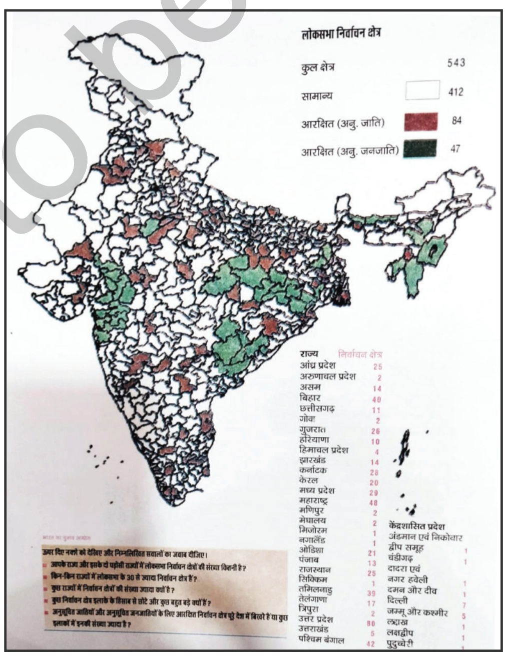

मतदाता सूची

- लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है इसी सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं आम बोलचाल में इसे “वोटर लिस्ट” भी कहते हैं।
- मतदाता सूची का सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है।
- हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं नागरिक की जाति, धर्म, लिंग, चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है।
- अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा जाता है।
- सभी शिक्षा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है
- हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है।
- जो लोग निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है। उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है।
- कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट दूसरा ना डाल सके।
- वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड,आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं।

© JCERT not to be republished

उम्मीदवारों का नामांकन

- जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है।
- राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में "टिकट" कहते हैं।
- चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्योरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है।
- प्रत्येक उम्मीदवार को कई मामलों के सारे विवरण देने होते हैं।

  1. उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले।
  2. उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण।
  3. उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।

चुनाव अभियान

- चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है।
- हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है।
- इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनैतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं।
- इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होते हैं।
- असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं।
- चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहते हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहते हैं।
- लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

© JCERT not to be republished

- चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी यह काम नहीं कर सकती हैं।

  1. मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना।
  2. मतदाताओं से जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है।
  3. लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25,00,000 या विधानसभा चुनाव में ₹1,00000 से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है।

- अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है।
- इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है।
- आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है जैसे-

  1. चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग ना करना।
  2. सरकारी वाहन विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग ना करना।
  3. चुनाव की अधिसूचना हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते।

मतदान

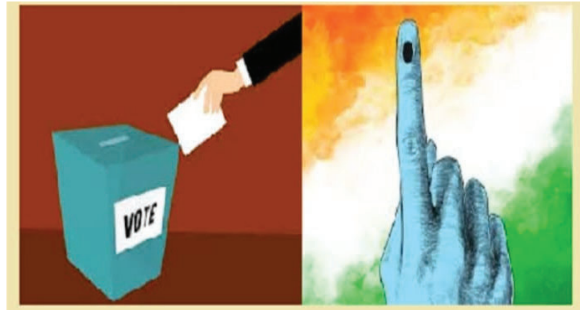

- चुनाव का आखरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं।
- मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थाई तौर पर स्थानीय स्कूल या सरकारी इमारत में बना होता है।
- जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसके अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं।
- सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है।
- पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग-अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है।

© JCERT not to be republished

मतगणना

- मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है।
- फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके।
- किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।
- आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है।
- टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरी विस्तार से देते हैं।
- कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है।

© JCERT not to be republished

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं।
- मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसकी चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा देना होता है।

स्वतंत्र चुनाव आयोग

- हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो

जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है।

- अगर सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है।
- निर्वाचन आयोग को प्राप्त अधिकार -

  1. निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है।
  2. यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करवाता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है।
  3. चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है।
  4. चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं।

- अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं।
- अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था।

भारत और ब्रिटेन में चुनाव में लोगों की भागीदारी

- चुनाव में लोगों के भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को माना जाता है।
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है परंतु भारत में यह स्थिति स्थिर है या ऊपर गया है।
- भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में यह स्थिति विपरीत है अमेरिका में गरीब लोग,अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग, अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं।
- भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनैतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश की शासन संचालन के लिए उनके वोट का महत्व है।

© JCERT not to be republished

- साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी ना किसी दल के नजदीक बताया है।

चुनावी नतीजों को स्वीकार करना

- चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखरी पैमाना उसके नतीजे ही है अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे ताकतवार उम्मीदवार के पक्ष में ही जाते हैं।
- भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं।
- भारत में सांसदों व विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं।
- वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है।
- अक्सर हारी हुई पार्टी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां

- भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है।
- भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाएं और चुनौतियां-

1. ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे यह कहना मुश्किल है पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है।
2. देश के कुछ इलाकों में अपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं।
3. अलग-अलग पार्टियों में कुछ परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं।
4. बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है।

- यह चुनौतियां भारत की ही नहीं कई स्थापित लोकतंत्र की भी यही स्थिति है।
- इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है।

© JCERT not to be republished

पाठ्य पुस्तक के प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1. चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन-सा वाक्य ठीक नहीं है?

क. चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फ़ैसला करने का अवसर देते हैं।

ख. लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।

ग. चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं।

घ. लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं।

उत्तर (ग)

प्रश्न 2. भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन-सा वाक्य सही कारण नहीं देता ?

क. भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं।

ख. भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है।

ग. भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है।

घ. भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियाँ जनादेश स्वीकार कर लेती हैं।

उत्तर (क)

प्रश्न 3. निम्नलिखित में मेल दें

क. समय-समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि	1. समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके ।
ख. कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि	2. हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले।
ग. प्रत्येक को सिर्फ़ एक वोट डालने का हक है ताकि	3. हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले।
घ. सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि	4. संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहाँ उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था।

© JCERT not to be republished

उत्तर.

(क) – (4) (ख) – (1)

(ग) – (2) (घ) – (3)

प्रश्न 4. सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?

क. मतदान के दिन

ख. चुनाव प्रचार

ग. मतगणना के दिन

उत्तर

(क) चुनाव प्रचार के समय सुरेखा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव कानूनों का उल्लंघन ना करें। जैसे-

1. मतदाता को प्रलोभन देना घूस देना या धमकी देना।
2. जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना।
3. चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना।

(ख) मतदान के दिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि चुनाव निष्पक्ष हो कोई फर्जी मत ना डालने पाए।

(ग) मतगणना के दिन इसके लिए चुनावी मशीनें सीलबंद हो। एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनें एक साथ खोली जाए। सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाए।

प्रश्न 5. नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं, तो क्यों ?

© JCERT not to be republished

समुदाय का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)		
	अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में	अमेरिकी समाज में
अश्वेत	8	13
हिस्पैनिक	5	13
श्वेत	86	70

Ans. इस तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है हिस्पैनिक समुदाय की जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

प्रश्न 6. क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए।

क. भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

ख. हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबर्दस्त भागीदारी होती है।

ग. सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है।

घ. अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं।

उत्तर

(क) यह सत्य है वास्तव में चुनाव आयोग को ही देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को दंडित करता है। चुनाव कार्य के दौरान नियुक्त कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं न कि सरकार के।

(ख) यह सत्य है चुनाव में लोगों की भागीदारी प्राय: मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मानी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। मतदाता चुनाव द्वारा राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति एवं कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं।

(ग) यह सत्य है सत्ताधारी भी चुनाव में पराजित हुए हैं। कई बार ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव में अधिक धन खर्च करते हैं चुनाव हार जाते हैं।

© JCERT not to be republished

(घ) यह सत्य है चुनाव सुधार के द्वारा धन, बल और अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को राजनीति से दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार धन, बल और अपराधिक छवि वाले लोग राजनीतिक दलों से टिकट पाने और चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जनकल्याण नहीं कर सकते बल्कि यह अपने स्वार्थ सिद्ध में ही लगे रहते हैं।

प्रश्न 7. चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फ़ैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ़ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के आधारभूत सिद्धांतो के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि चिनप्पा और सतबीर दोनों हीं अपराधी हैं। दोनों को कानून का पालन न करने पर न्यायलय द्वारा दण्डित किया जा चुका हैं अर्थात् यें दोनों देश के लिए अच्छे व आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए। इसलिए उन्हें केंद्र या राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 8. यहाँ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे ?

क. नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान-बूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले पाँच लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था।

ख. फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक परचा बाँटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून-खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी।

ग. अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी-अपनी प्रणालियाँ हैं। सन् 2 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फ़ैसले लिए पर उनके फ़ैसले को कोई भी नहीं बदल सका।

उत्तर

(क) यदि चुनाव अधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी न्यायालय में प्रमाणित हो जाती है तो इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए और उस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए।

© JCERT not to be republished

(ख) चुनाव से ठीक पहले किसी प्रत्याशी के विरोध हेतु धमकी भरा पर्चा निकालना, एक समुदाय को भयभीत करना, निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर्चे को जारी करने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दल का पता लगाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य को अपने चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। फ्लोरिडा राज्य द्वारा लिया गया निर्णय उस राज्य के चुनाव कानून के अनुकूल होगा।

प्रश्न 9. भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

क. चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

ख. विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली।

ग. चुनाव आयोग की जाँच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले।

घ. एक राजनैतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे।

उत्तर

(क) चुनाव की तिथि घोषित हो जाने के बाद सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेना उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके एक नीतिगत निर्णय की घोषणा की है जो कि अनुचित है। अतः मंत्री महोदय को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ख) सभी राजनीतिक दलों को रेडियो तथा दूरदर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता एवं समय दिया जाना चाहिए भारत में सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा समय दिया जाता है। विपक्षी दलों के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान ना देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

© JCERT not to be republished

(ग) फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने गड़बड़ी की तैयारी की थी चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए।

(घ) गुंडों एवं अपराधिक तत्वों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को धमकाना और भयभीत करना राजनीतिक दुराचार है। बंदूक तथा अन्य घातक हथियारों के साथ चुनाव के दौरान लोगों का घूमना फिरना बंद किया जाना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्रश्न 9. जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है ?

क. औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है।

ख. पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फ़ैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए।

ग. सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए।

उत्तर

(क) वर्तमान भारत में ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान है जो स्वेच्छा से मतदान करती हैं। महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना अथवा उन्हें जबरन किसी प्रत्याशी विशेष के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करना लोकतांत्रिक रूप से अनुचित है। इसलिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है।

(ख) यह सत्य है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव उत्पन्न करती है किंतु इसके लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है और इतने सारे लोगों से किसी सहमति पर पहुंच बहुत कठिन है।

(ग) सिर्फ स्नातकों को चुनाव लड़ने का अधिकार देना अलोकतांत्रिक होगा इसका आशय यह होगा कि उन लोगों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए जो स्नातक नहीं है। प्रत्याशियों का शिक्षित होना अच्छी बात है लेकिन इसके लिए सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करे।

© JCERT not to be republished

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है?

   a. 79 b. 41

   c. 78 d. 84

2. वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है?

   a. महिला

   b. पुरुष

   c. विक्षिप्त एवं अपराधी लोग

   d. प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग

3. चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कौन खड़ा हो सकता है?

   a. जो मतदाता हो

   b. मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो

   c. भारत का नागरिक हो

   d. इनमें से कोई नहीं

4. भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है?

   a. 543 b. 560

   c. 525 d. 500

5. चुनाव के लिए "वार्ड" नामक निर्वाचन क्षेत्र किस के लिए बनाए जाते हैं?

   a. विधानसभा के लिए

   b. पंचायत और नगर निकाय के लिए

   c. विधान परिषद के लिए

   d. सांसद के लिए

© JCERT not to be republished

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. आचार संहिता लागू होने पर उम्मीदवार एवं पार्टियां कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं?
7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदाता किस प्रकार वोट देते हैं?
8. निर्वाचन आयोग को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. भारत की चुनाव प्रणाली की व्याख्या करें?
10. निर्वाचन आयोग के अधिकारों का वर्णन करें,?

बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर

1.	d	2.	c
3.	b	4.	a
5.	b		

© JCERT not to be republished